

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक : वि. धान सभा अनु. 2010/डी - 819 दिनांक 18-5-10

कार्यालय आदेश

प्राक्कलन समिति "क" 2009-10 ने सिफारिश की है कि क्वालिटी कन्ट्रोल करने वाले अधिकारियों के साथ-साथ जन प्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया जाय तो इससे निर्माण कार्यों में प्रगति होगी और निगरानी भी हो सकेगी। अतः सड़क कार्यों के सम्पादन के अन्तर्गत प्रभावी गुणवत्ता एवं नियंत्रण के लिये पूर्व में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक अनुभाग-प्रथम/ए/07/90 दिनांक 05-04-2007 की निरन्तरता में पुनः निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं-

- (1) अधीक्षण अभियन्ता सम्बन्धित माननीय सांसद महोदय एवं जिला प्रमुख से अनुरोध करेंगे और उनके साथ उनकी सुविधानुसार कार्यक्रम बनाकर 6 महीने में एक बार जहाँ भी वे जांच के लिये जाना चाहेंगे, सड़क पर जायेंगे एवं उनके सामने जांच करेंगे।
- (2) अधिशाही अभियन्ता सम्बन्धित माननीय विधायक महोदय एवं प्रधान महोदय से अनुरोध करेंगे तथा सुविधानुसार समय लेकर 3 महीने में पूरे एक दिन उनके साथ जहाँ जहाँ कहेंगे वहाँ जांच करेंगे एवं आकस्मिक निरीक्षण भी करेंगे।
- (3) सहायक अभियन्ता सम्बन्धित ग्राम पंचायत के सरपंच के साथ 2 महीने में एक बार जांच करेंगे।

सभी अधीक्षण अभियन्ता, अधिशाही अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता जांच के पश्चात् जांच रिपोर्ट उच्च अधिकारियों के माध्यम से 15 दिवस में प्रस्तुत करेंगे।

[Signature]
मुख्य अभियन्ता,

सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : वि. धान सभा अनु. 2010/डी - 819 दिनांक 18-5-10

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- (1) निजी सचिव माननीय सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- (2) प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण-विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- (3) शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- (4) मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव/मुख्य अभियन्ता (रा. उच्च मार्ग/भवन/सिमेंटजीएसवाई/एस.एस., सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- (5) अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, सम्भाग-रागस्त।
- (6) अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त-समस्त।
- (7) अधिशाही अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-रागस्त।
- (8) सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उपखण्ड-समस्त।
- (9) ए.सी.पी. को वेब साइट पर अपलोड करने बाबत।

[Signature]
मुख्य अभियन्ता,

सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान जयपुर।

Order Assembly Qu. Letter 90

RAM 3917
MA/STO

EE II
[Signature]
21/5

Circular File
[Signature]
21/5